

प्रति,

उपाध्यक्ष,

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण,

नर्मदा भवन, भोपाल ।

विषय:- अम्बा-रोडिया उद्वहन सिंचाई योजना की प्रशासकीय स्वीकृति ।

संदर्भ :- सचिव नर्मदा नियंत्रण मंडल का पत्र क्रमांक 117/54.10/27/न0नि0म0/16, दिनांक 24.09.2016.

--00--

नर्मदा नियंत्रण मंडल की 54 वीं बैठक दिनांक 23.09.2016 में लिये गये निर्णय अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा अम्बा-रोडिया उद्वहन सिंचाई योजना हेतु राशि ₹ 138.29 करोड़ (₹ एक सौ अड़तीस करोड़ उनतीस लाख) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है ।

2/- उक्त व्यय मांग संख्या 41-4700 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

—84—

(लक्ष्मीकान्त दिववेदी)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग

पृ0क्रमांक एफ 31-14/2016/सत्ताईस-एक

भोपाल, दिनांक 06 अक्टूबर, 2016

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव (समन्वय) मध्य प्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल ।
4. सदस्य (अभियांत्रिकी)/(वित्त) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल ।
5. प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
6. महालेखाकार भोपाल/ग्वालियर मध्य प्रदेश ।
7. सचिव नर्मदा नियंत्रण मंडल/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल ।
8. मुख्य अभियन्ता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), सनावद ।
9. मुख्य सूचना अधिकारी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर उक्त आदेश वेबसाइट पर दर्ज करने हेतु अग्रेषित ।
10. निज सचिव, अध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल ।
11. आईर बुक ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

6/10/16

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग